कार्यालय नीलामी समिति, जनपद न्यायालय अमरोहा।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के पत्रांक 895/2023 दिनांकित 06.05.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार इस अधिष्ठान में उपलब्ध पुरानी राजकीय कार संख्या यू0पी0 32 बी0जी0 5413 होण्डा सिटी – 2010 की नीलामी कार्यवाही (वर्तमान में जहां और जैसी स्थिति में है) के आधार पर सार्वजनिक रूप से दिनांक 27.07.2023 को दोपहर 02:00 बजे जनपद न्यायालय अमरोहा परिसर में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग रूम में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी की कार्यवाही निम्न शर्तो के अनुसार बोली बोल सकती है।

<u>नीलामी की शर्ते</u>

1. नीलामी समिति किसी भी बोली को विना कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। अन्तिम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अंकन 10,000/–रूपये नकद जमा करने होगें। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिए तब तक अनुज्ञात नही किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लियें उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार न प्राप्त किया हो। अधिकृत प्रतिनिधि ही उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से तीन दिन पूर्व अर्थात दिनांक 24.07.2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक न्यायालय परिसर में देखा जा सकेगा।
5. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का विधिवत निरीक्षण कर ले।
6. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की एक तिहाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नही की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी व वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।

8. वाहन की अन्तिम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृति होने अथवा अन्तिम कार्यवाही होने तक, जो भी बाद में हो, होने तक वाहन हस्तगत नही किया जायेगा।

9. नीलामी सिमति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।

10. वाहन जहॉ है जैसा है कि स्थिति में नीलाम तथा हस्तगत किया जायेगा।

11. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नही दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान तथा आर0टी0ओ0 आफिस द्वारा निर्धरित वाहन का टैक्स जमा कर के वाहन अपने नाम हस्तांतरित न करा लिया हो।

12. बोलीदाता को नियमानुसार वाहन पर लागू जी0एस0टी0 को अविलम्ब जमा करना होगा।

13. यदि नीलामी की शर्तो के विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माननीय ज़िला न्यायाधीश अमरोहा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14. नीलमी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद अमरोहा में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

दिनांकः—14.07.2023

14/7/2023

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर ज़िला न्यायाधीश/पोक्सो—3
ज़िला न्यायालय अमरोहा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. माननीय ज़िला न्यायाधीश अमरोहा को सूचनार्थ ।
2. कार्यालय ज़िलाधिकारी, अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
3. समस्त तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. ए0आर0टी0ओ0 अमरोहा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
5. न्यायालय भवन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
6. वाहय न्यायालय हसनपुर एवं ग्राम न्यायालय धनौरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. ज़िला सूचना अधिकारी अमरोहा को समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
8. डी0एस0ए0 कम्पयूटर अनुभाग ज़िला न्यायालय अमरोहा को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईट एवं ज़िला न्यायालय अमरोहा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

14/7/2023

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर ज़िला न्यायाधीश/पोक्सो—3
ज़िला न्यायालय अमरोहा।